

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/8182-212 दिनांक 12.7.2013

आदेश संख्या.....121...../2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट-I/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वसित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे-बेण्ड 2(9300-34800) ग्रेड पे 4200/- एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या/ बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि
1	2	3	4	5
1.	हेमन्त कुमार बिलाला	आर-1/92	11.7.1995	11.7.2013
2.	मनीष जैन	आर-1ए/92	17.6.1995	17.6.2013
3.	राजेन्द्र कुमार चारण	आर-2/92	22.6.1995	22.6.2013
4.	अनिल कुमार शर्मा	आर-3/92	14.7.1995	14.7.2013
5.	प्रवीण शर्मा	आर-13/92	17.6.1995	17.6.2013
6.	प्रवीण कुमार जैन	आर-16/92	17.6.1995	17.6.2013
7.	अनिल कुमार भारद्वाज	आर-17/92	15.6.1995	15.6.2013
8.	बनवारी लाल गुप्ता	आर-18/92	12.7.1995	12.7.2013
9.	योगेश शर्मा	आर-19/92	15.6.1995	15.6.2013
10.	वीरेन्द्र कुमार जैन	आर-20/92	17.6.1995	17.6.2013
11.	राजेश शर्मा	आर-22/92	23.6.1995	23.6.2013
12.	अशोक कुमार टेवानी	आर-23/92	05.7.1995	05.7.2013
13.	अनूप कुमार शर्मा	आर-27/92	17.6.1995	17.6.2013
14.	इकबाल तवर	आर-28/92	29.6.1995	29.6.2013
15.	दिनेश सिंह	आर-29/92	19.6.1995	19.6.2013
16.	इन्द्र चन्द्र	आर-30/92	15.6.1995	15.6.2013
17.	प्रवीण पालीवाल	आर-33/92	30.6.1995	30.6.2013
18.	जगदीश प्रसाद शर्मा	आर-35/92	30.6.1995	30.6.2013
19.	रामबाबू नामा	आर-39/92	05.7.1995	05.7.2013
20.	जयराम सिंह जीतरवाल	आर-42/92	17.6.1995	17.6.2013
21.	सतीश चन्द बिन्दल	आर-44/92	19.6.1995	19.6.2013
22.	दिनेश कुमार बंसल	आर-45/92	30.6.1995	30.6.2013
23.	हेमन्त कुमार शर्मा	आर-47/92	03.7.1995	03.7.2013
24.	मनोहर लाल मॉडण	आर-50/92	12.7.1995	12.7.2013
25.	राजेश कुमार गुप्ता	आर-51/92	30.6.1995	30.6.2013
26.	बिल्लूराम यादव	आर-60/92	21.6.1995	21.6.2013
27.	राकेश कुमार सिंघल	आर-61/92	15.6.1995	15.6.2013
28.	मोहम्मद ताहिर	आर-63/92	16.6.1995	16.6.2013
29.	प्रमोद कुमार कौशिक	आर-64/92	24.6.1995	24.6.2013
30.	सीमा बडौला	आर-69/92	15.6.1995	15.6.2013
31.	श्रीनाथ कारपेन्टर	आर-70/92	16.6.1995	16.6.2013
32.	सत्यनारायण शर्मा	आर-71/92	22.6.1995	22.6.2013

48

33.	गिरिराज प्रसाद मथुरिया	आर-75/92	15.6.1995	15.6.2013
34.	विनोद कुमार शर्मा	आर-79/92	24.6.1995	24.6.2013
35.	गोपाल सिंह	आर-81/92	05.7.1995	05.7.2013
36.	ब्रिजेश कुमार	आर-82/92	12.7.1995	12.7.2013
37.	नरेश कुमार शर्मा	आर-85/92	12.6.1995	12.6.2013
38.	सागर मल सामोता	आर-89/92	10.7.1995	10.7.2013
39.	रमेश चन्द्र गोयल	आर-91/92	20.6.1995	20.6.2013
40.	महेश चन्द अग्रवाल	आर-94/92	06.7.1995	06.7.2013
41.	महावीर प्रसाद गुप्ता	आर-95/92	22.6.1995	22.6.2013
42.	विनोद कुमार मित्तल	आर-96/92	16.6.1995	16.6.2013
43.	प्रदीप जोशी	आर-101/92	20.6.1995	20.6.2013
44.	राजेश कुमार कसारा	आर-105/92	30.6.1995	30.6.2013
45.	राजेश खत्री	आर-106/92	29.6.1995	29.6.2013
46.	दुर्गा सिंह शेखावत	आर-112/92	30.6.1995	30.6.2013
47.	मुकेश कुमार शर्मा	आर-113/92	30.6.1995	30.6.2013
48.	महेन्द्र नारायण व्यास	आर-117/92	29.6.1995	29.6.2013
49.	पवन कुमार पारीक	आर-118/92	23.6.1995	23.6.2013
50.	मोहन लाल वर्मा	आर-133/92	19.6.1995	19.6.2013
51.	जवाहर लाल	आर-148/92	23.6.1995	23.6.2013
52.	मोहन लाल बैरवा	आर-163/92	21.6.1995	21.6.2013

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी धोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

क्रम संख्या 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 20, 21, 23 से 28, 30, 33, 34, 37, 41, 44, 48 एवं 51 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।


निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-III/8102-212 दिनांक 18.6.2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
2. श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....
3. निजी सहायक, निदेशक महोदय
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कनिष्ठ लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)